AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना कोतवाली जनपद आगरा। 02.10.2021

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा चाँदी का गबन करने वाले अभियुक्त को गिया गिरफ्तार, कब्जे से गबन की गयी शत प्रतिशत 11 किलो 200 ग्राम चाँदी बरामद..

दिनांक 01.10.2021 को वादी सतीशचन्द्र पुत्र दुर्ग सिंह कुशवाह नि0 सर्वेश नगर थाना जगदीशपुरा द्वारा थाना कोतवाली पर सूचना दी गयी कि वादी चाँदी का कार्य मजदूरी पर करता है एवं मेरा कारखाना छोटी पन्नी सेब बाजार थाना कोतवाली में स्थित है। दिनांक 16.09.2021 को वादी द्वारा कर्मचारी टीपू सुल्तान को 11 किलो 200 ग्राम चाँदी झलाई के लिए दी थी किन्तु टीपू सुल्तान चाँदी वापस लेकर नहीं आया। घर व अन्य स्थानों पर तलाश करने पर भी नहीं मिला एवं उसका फोन बन्द आ रहा था, ऐसा लगता है कि वह माल/चाँदी को लेकर भाग गया है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 83/21 धारा 406 भादवि पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 01.10.2021 को थाना क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा की जा रही चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त इस समय कहीं जाने की फिराक में रामबाग चौराहे पर खड़ा हुआ है।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताये स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से गबन की हुयी 11 किलो 200 ग्राम चाँदी बरामद हुयी। पूछताछ में बताया गया कि मैं इधर–उधर छुपा हुआ घूम रहा था और आज चाँदी को बेचने हेतु जा रहा था।

➢ गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

01. टीपू सुल्तान पुत्र निजाकत अली नि0 अब्बास नगर सरताज–ए–आलम विद्यालय यमुना ब्रिज थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

➢ बरामदगी का विवरण :–

01. 11 किलो 200 ग्राम चाँदी गबन की।

➢ आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01\. मु0अ0सं0 83/21 धारा 406 भादवि थाना कोतवाली जनपद आगरा।

➢ पुलिस टीम :–

01\. प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय मय टीम थाना कोतवाली जनपद आगरा।

.

मीडिया सेल जनपद आगरा।